संख्या: 58/2017/2849/12-2-2017-60(6)/2017 टीसी-2

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1. कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,
   वित्त/संस्थागत वित्त/सहकारिता/आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स/कृषि/राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, बैंक ऑफ बडौदा, बडौदा हाऊस, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 01 सितम्बर, 2017

विषय: फसल ऋण मोचन योजना का जनपद स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या: 2561/12-2-2017-60(6)/2017 दिनांक 02 अगस्त, 2017 के प्रस्तर संख्या-4 के उप प्रस्तर संख्या-(ग) एवं (ड.) में निम्न विवरण के अनुसार "राज्य मुख्यालय, लखनऊ स्थित बैंकों की नोडल शाखाओं" के स्थान पर "राज्य में स्थित बैंकों की नोडल शाखाओं" किए जाने के सम्बन्ध में निम्नवत संशोधन किए जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

वर्तमान प्राविधान	प्रस्तावित प्राविधान
(ग) कृषि विभाग के राज्य स्तरीय आहरण वितरण अधिकारी, राज्य स्तर के नोडल कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से कोषागार पोर्टल के माध्यम से देयक आहरित कर धनराशि का वितरण हेतु राज्य मुख्यालय लखनऊ पर स्थित बैंकों की नोडल शाखाओं को हस्तान्तरित करेंगे।	कृषि विभाग के राज्य स्तरीय आहरण वितरण अधिकारी, राज्य स्तर के नोडल कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ से कोषागार पोर्टल के माध्यम से देयक आहरित कर धनराशि को वितरण हेतु राज्य में स्थित बैंकों की नोडल शाखाओं को हस्तान्तरित करेंगे।
(ड.) प्रत्येक बैंक द्वारा राज्य मुख्यालय लखनऊ स्थित एक शाखा को नोडल शाखा घोषित किया जायेगा तथा नोडल शाखा में धनराशि के वितरण हेतु एक खाता खोला जायेगा।	प्रत्येक बैंक द्वारा राज्य में स्थित एक शाखा को नोडल शाखा घोषित किया जायेगा तथा शाखा में धनराशि के वितरण हेतु एक खाता खोला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2. उक्त शासनादेश संख्या: 2561/12-2-2017-60(6)/2017 दिनांक 02 अगस्त, 2017 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या: 58/2017/2849/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. सचिव, वित्त विभाग (श्री मुकेश मित्तल), उत्तर प्रदेश शासन।
3. विशेष सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. विशेष सचिव, वित्त विभाग (श्री नील रतन कुमार), उत्तर प्रदेश शासन।
6. विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश को समस्त ऋण प्रदाता संस्थाओं को प्रेषण हेतु।
8. प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 डेस्को, लखनऊ।
9. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0 आई0 सी0, लखनऊ।
10. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।